न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका।

नामांतरण अपील वाद संख्या– 06/2020–2021
अब्दुल हकीम बनाम् झारखण्ड सरकार

आदेश

थ्दनांक	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश	अभ्युक्ति
13/08/2021	अभिलेख उपस्थापित। इस अपील वाद की कार्यवाई अपिलार्थी द्वारा दाखिल आवेदन के आधर पर प्रारंभ कि गई है अंचल अधिकारी के कार्यलय में चल रहे नामांतरण वाद सं0 19 R27/2020–21 के आदेश दिनांक 28.11.2020 पारीत आदेश के विरूद्व अपिलार्थी ने यह अपिलवाद दायर किया है। वाद की कार्यवाई में निम्न न्यायालय अभिलेख दिनांक 27.3.2021 को प्राप्त हो गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित जबाब दाखिल किया गया है एवं तर्क भी प्रस्तुत किया गया। इस अपीलवाद की कार्यवाई में अपीलार्थी का कथन है कि अंचल अधिकारी रंका के द्वारा दिनांक 28.11.2020 नामांतरण वाद सं0 19 आर 27/2020–2021 पारीत गलत आदेश के विरूध इन्होनें अपील दायर किया है। वाद की कार्यवाई में वर्णित भूमि अब्दुल हकिम द्वारा निबंधिता केवाला सं0 6851 के द्वारा दिनांक 27.10.2009 में ही क्रय किया गया था, जिसका नामांतरण इनके नामें हो गया था एवं मांग पंजी रजिस्टर II के पृष्ठ संख्या 25/9 पर मांग भी कायम हो रसीद निर्गत होते आ रहा था परन्तु नया खाता प्लौट से ही ऑनलाइन हो सकता है। इस लिए नामांतरण कर मांग ऑनलाइन हेतु आवेदन अंचल अधिकारी को दिए। जिनके द्वारा नामांतरण वाद संख्या 19 आर 27/2020–21 प्रारंभ किया गया। उक्त वाद मे अंचल निरीक्षक व हल्का कर्मचारी ने अपना–अपना प्रतिवेदन समर्पित किया। लिखा कि क्रय कि गई भूमि का मांग विक्रेता के पिता का नाम से समिलात चलता है, विक्रेता ने अपने जात हिस्सा का भूमि विक्री किया है क्रय की गई भूमि पर क्रेता का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भूमि भूदान भू–हदबदी एवं सार्वजनिक उपयोग तथा सी0 एन0 टी0 एक्ट से मुक्त है। अत: क्रेता के नाम से नामांतरण की स्वीकृति दी जा सकती है परन्तु अंचल अधिकारी द्वारा यह रिपोर्ट पर गौर नही किया गया इस भूमि पर क्रेता का दखल कब्जा है एवं विक्रेता ने अपने जोत कि भूमि विक्री किया गया उनके द्वारा गलत आदेश देते हुए नामांतरण वाद ही खारीज कर दिया गया। इनका कथन है कि अंचल अधिकारी के कार्यलय मे किसी के द्वारा उक्त नामांतरण का न तो विरोध किया है न ही किसी ने उक्त नामांतरण करने मे आपति ही की है फिर भी अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण वाद को खारीज कर दिया जाना स्पष्ट करता है कि अंचल अधिकारी ने नियम विरूद्व उक्त नामांतरण वाद को खारीज कर दिया है। अंत मे अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि उक्त अपिल मे वर्णित भूमि को नामांतरण करने का आदेश दिया जाए एवं भालभुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अंचल अधिकारी रंका को आदेश दिया जाए जो विधिसवत है। इस अपीलवाद मे संलग्न दस्तावेजो, निम्न न्यायालय अभिलेख, अपीलार्थी के विदान अधिवक्ता के तर्क पर गौर करने के उपरांत स्पष्ट होता है कि इस अपीलवाद में अंकित भूमि जो ग्राम मानपुर के खाता सं0 पुराना– 66 नया– 62 प्लौट– सं0 674 पुराना, नया 1488 रकबा 0.18$\frac{3}{4}$ ए0 उ0 सैदुल अंसारी द0 मुदुर मिया पु0 मोहीउदीन अंसारी प0 रेयाज अंसारी एवं प्लौट सं0 675 पुराना 1506 नया रकबा 0.06 ए0 उ0– रास्ता कच्ची द0– रेयाज अंसारी पु0– मोहीउदीन अंसारी प0– जैबुन बीबी एवं प्लौट सं0 649 पुराना 1658 नया रकबा 0.10 $\frac{3}{4}$ए0 उ0 सैदुल अंसारी द0 प्लौट सं0 676 नीज पु0 जमरूदीन अंसारी प0 रेयाज अंसारी 0.35$\frac{1}{2}$ए0 अपीलार्थी ने निबंधित केवाला से मांगधारी के पुत्र से क्रय किया है। जिसका पूर्व में दाखिल खारीज भी क्रेता के नामें हो चुका था। वर्तमान में नये खाता प्लोट से दी मांग दर्ज हो सकती है ताकि आनालाईन हो सके। अंचल अधिकारी रंका द्वारा पारीत अंतिम आदेश जो नामांतरण वाद सं0 19 आर 27/2020–2021 में दिनांक 28.11.2020 को पारित किया गया है। नियम संगत नहीं लगता है। अत: अंचल अधिकारी के पारीत आदेश को निरस्त किया जाता है तथा अपलार्थी के नामे इस अपिल वाद में अंकित भूमि का नमांतरण का आदेश दिया जाता है इस आदेश की प्रति अंचल अधिकरी रंका को आदेश के अनुपालनार्थ भेजें। उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका।	

Digitally signed by PARMESH KUSHWAHA
Date: 2023.11.26 15:56:42 +05:30
Location: 192.168.238.59